



उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद की सिविल लाइन्स योजना

संख्या-2, भाग-2, बदायूँ में आवासीय भूखण्डों की
लाटरी एवं आवंटन हेतु सूचना



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बदायूँ योजना में आवासीय भूखण्डों हेतु दिनांक 05 जनवरी, 2021 से 05 फरवरी, 2021 तक पंजीकरण ऑनलाइन/ऑफलाइन खोला गया है, जिसका लाटरी/आवंटन शासनादेश/परिषदादेश में निहित आरक्षण प्रावधानों के अनुसार दिनांक 15.02.2021 को प्रातः 11.00 बजे से, स्थल: सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सिविल लाइन्स योजना संख्या-2, भाग-2, बदायूँ में प्रस्तावित है।

बदायूँ में होने वाली लाटरी एवं आवंटन हेतु प्रस्तावित तिथि

क्रम संख्या	बदायूँ के पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भूखण्ड	बदायूँ के पंजीकरण की अंतिम तिथि	लाटरी/आवंटन की प्रस्तावित तिथि
1	273	05.02.2021	15.02.2021

नोट:- 1. विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाइट

www.upavp.in पर प्रदर्शित है।

2. आवंटन स्थल पर आवेदकों को चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में दिखाने पर प्रवेश अनुमन्य होगा।
3. नियम व शर्तें लागू।

अधिक जानकारी हेतु श्री महबूब खॉन सम्पत्ति प्रबंधक, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय बरेली मो0 8795810954 में सम्पर्क करें।

लाटरी/आवंटन
दिनांक 15.02.2021
समय प्रातः 11.00
बजे से

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website-www.upavp.in, E-mail: info@upavp.in



टोल फ्री

अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें
1800-180-5333 दूरभाष **0522-2236803**
मो0 8795811757, 8795810404
या परिषद की वेबसाइट पर लॉगइन करें।